अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2021

सं. 07/2021-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 690(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 148 के साथ पठित, एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 6 की उप धारा (1) और धारा 20 के उपवाक्य (xxv) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 09/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

(i) क्रमांक 1 के सामने, कॉलम (3) में, अंक और अक्षर "12कक" के बाद, शब्द, अंक और अक्षर "या 12कख" को अन्त:स्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 10कक के सामने, कॉलम (3) में, अंकों "2020" के बाद, "जब भी पुनर्निर्धारित हो", शब्दों को अन्त:स्थापित किया जाएगा;

(iii) क्रमांक 10कक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"10कख	अध्याय 99	भारत में आयोजित होने वाले ए.एफ.सी. महिला एशिया कप, 2022 के अंतर्गत किसी भी समारोह में प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: एशियाई फुटबाल परिसंघ (ए.एफ.सी.) और उसकी सहायक इकाइयों के द्वारा या उनको प्रदान की जाने वाली सेवाएं।	शून्य	बशर्ते कि निदेशक (खेल), युवा मामले और खेल मंत्रालय प्रमाणित करें कि ये सेवाएं प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: रूप से एएफसी महिला एशिया कप 2022 के तहत किसी भी आयोजन से संबंधित हैं;

(iv) कॉलम (3) में क्रम संख्या 10ङ. और 14 के सामने, अंक और अक्षर "12कक" के बाद, शब्द, अंक और अक्षर "या 12कख" को अन्त:स्थापित किया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 20क और 20ख के सामने, कॉलम (5) में, अंक "2021" के स्थान पर, "2022" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(vi) क्रम संख्या 45 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(vii) क्रम संख्या 64 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"64क	शीर्षक 9991	संपूर्ण भारत/सन्निहित राज्यों में परिचालन के लिए माल ढुलाई के लिए राष्ट्रीय परमिट प्रदान करने के माध्यम से सेवाएं।	शून्य	शून्य";

(viii) क्रम संख्या 75 के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्द "कुल व्यय" के पश्चात, अंक, प्रतीक और शब्द "का 75% या अधिक" को अन्त:स्थापित किया जाएगा;

(ix) क्रमांक 77क और 83 के सामने, कॉलम (3) में, अंक और अक्षर "12कक" के बाद, शब्द, अंक और अक्षर "या 12कख" अन्त:स्थापित किया जाएगा;

(x) क्रम संख्या 85क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित को अन्त:स्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"85ख	शीर्ष 9996	एएफसी महिला एशिया कप 2022 के तहत आयोजित कार्यक्रमों में प्रवेश के अधिकार के माध्यम से सेवाएं	शून्य	शून्य";

2. यह अधिसूचना 01 अक्तूबर, 2021 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/207/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 09/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 05/2020-एकीकृत कर (दर), दिनांक 16 अक्तूबर, 2020, सा.का.नि. 643 (अ), दिनांक 16 अक्तूबर, 2020 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2021

No. 07/2021- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 690(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and sub-section (4) of section 5, sub-section (1) of section 6 and clause (xxv) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), read with sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.**9/2017**- Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 684 (E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, -

(i) against serial number 1, in column (3), after the figures and letters "12AA", the word, figures and letters " or 12AB" shall be inserted;

(ii) against serial number 10AA, in column (3), after the words "hosted in India", the words "whenever rescheduled" shall be inserted;

(iii) after serial number 10AA and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely : -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"10AB	Chapter 99	Services provided by and to Asian Football Confederation (AFC) and its subsidiaries directly or indirectly related to	Nil	Provided that Director (Sports), Ministry of Youth Affairs and Sports certifies that the services are directly or indirectly related to any

		any of the events under AFC Women's Asia Cup 2022 to be hosted in India.		of the events under AFC Women's Asia Cup 2022.”;

(iv) against serial numbers 10E and 14, in column (3), after the figures and letters “12AA”, the word, figures and letters “ or 12AB” shall be inserted;

(v) against serial numbers 20A and 20B, in column (5), for the figures “2021”, the figures “2022” shall be substituted;

(vi) serial number 45 and the entries relating thereto shall be omitted;

(vii) after serial number 64 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“64A	Heading 9991	Services by way of granting National Permit to a goods carriage to operate through-out India / contiguous States.	Nil	Nil”;

(viii) against serial number 75, in column (3), after the words “for which”, the figures, symbol and words “75% or more of the” shall be inserted;

(ix) against serial numbers 77A and 83, in column (3), after the figures and letters “12AA”, word, figures and letters “ or 12AB” shall be inserted;

(x) after serial number 85A and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely : -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“85B	Heading 9996	Services by way of right to admission to the events organised under AFC Women's Asia Cup 2022	Nil	Nil”;

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2021.

[F. No. 354/207/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal notification No. 9/2017 - Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 684 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 5/2020 – Integrated Tax (Rate), dated the 16th October, 2020 vide number G.S.R. 643(E), dated the 16th October, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2021

सं. 06/2021-संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 691(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के साथ पठित संघ राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप धारा (1), (3) और (4), धारा 8 की उप धारा (1) और धारा 21 के उपवाक्य (iv),